हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मुकदमा नम्बर– 15/2023

अब्दुल रसीद वगै0 बनाम बाबू अली वगै0

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी के आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की प्रति वकील वादी/अप्रार्थी को दी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि जमीन गत खसरा नम्बर 410/5 तादादी 9 बीघा 10 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम भूरासर तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के दौराने पैमाईश हाल खसरा नम्बर 458 रकबा 2.73 हैक्टर बने उक्त जमीन का पहले खातेदार गफुर पुत्र हमीर खां कौम मुसलमान निवासी झुन्झुनूं था। उक्त गफुर का सन 1999 मे देहान्त हो चुका है। गफुर के पांच पुत्र क्रमशः अब्दुल रसीद, मो. युसुफ, अस्त अली, बाबू अली व मोहम्मद शब्बीर पैदा हुये एवं दो पुत्री प्रतिवादिया नं. 3 बतूल एवं मु. बानू पैदा हुई। गफुर पुत्र हमीर खां के देहान्त होने के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 59 उक्त जमीन मे गफुर की पुत्री बतूल व बानू के द्वारा अपने हक हिस्से का मौखिक दान अपने पांचो भाईयों के हक मे करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 59 ग्राम भूरासर बहिनो की सहमति से गफुर के पांचो पुत्रो के नाम स्वीकृत किंया गया। नामान्तरकरण संख्या 59 की प्रविष्टि जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 में है। इस प्रकार जमीन हाल खसरा नम्बर 458 मे गफुर के प्रत्येक पुत्र का 1/5 हक हिस्सा हुआ। मो. युसुफ पुत्र गफुर का उक्त जमीन मे 1/5 हक हिस्सा था। मो. युसुफ ने अपने 1/5 हक हिस्से की जमीन में से 0.2744 हैक्टर जमीन का उपहार पत्र दिनांक 25.2.2015 को अपने भाई प्रतिवादी नं. 1 बाबू अली के हक में निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय झुन्झुनूं मे पंजीबद्ध करवा दिया। उपहार पत्र के मुताबिक प्रतिवादी नं. 1 के हक मे राजस्व रिकॉर्ड कायम हो गया। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1 बाबू अली उक्त जमीन मे 1/5 + 98/975 हक हिस्से का सहखातेदार है। उक्त जमीन मे मो. युसुफ सिर्फ 97/975 हक हिस्से का सहखातेदार शेष रहा। वादी नं. 3 लगायत 7 स्व. मो. युसुफ के वारिस है। उक्त जमीन मे वादी नं. 1 अब्दुल रसीद का 1/5 हक हिस्सा था। अब्दुल रसीद ने अपने 1/5 हक हिस्से का हक त्याग पत्र दिनांक 1.3.2008 को प्रतिवादी नं. 2 मो. शब्बीर के हक मे उप पंजीयक कार्यालय झुन्झुनूं मे पंजीबद्ध करवा दिया। हक त्याग पत्र दिनांक 1.3.2008 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 73 ग्राम भूरासर दिनांक 5.09.2009 को प्रतिवादी नं. 2 के हक मे स्वीकार हो गया। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 2 उक्त जमीन मे से 2/5 हक हिस्से का सहखातेदार हुआ एवं काबिज रहा। गफुर का देहान्त सन 1999 मे हो गया गफूर की जगह उनके पुत्रो के हक मे नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 5.4.2008 को स्वीकृत हुआ। उससे पहले गफुर के पांचो पुत्रो एवं पुत्रियों के मध्य पारिवारिक बंटवारा दिनांक 31.12.2007 को हुआ। जो पारिवारिक बंटवारा 100/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखा जाकर नोटेरी वकील के समक्ष निष्पादित किया गया। जिसमे अब्दुल रसीद व मो. युसुफ ने अपने 2/5 हिस्से की जमीन अपने भाई अस्तअली खां, बाबूं खां एवं शब्बीर खां को देकर उनका कब्जा करवा दिया। पारिवारिक समझौता दिनांक 31. 12. 2007 के मुताबिक वादी नं. 1 अब्दुल रसीद ने प्रतिवादी नं. 2 के हक मे सम्पूर्ण जमीन का हक त्याग पत्र कर दिया एवं मो. युसुफ ने अपने 1/5 हिस्से की जमीन मे से कुछ जमीन सहमति से अपने पास रखकर 0.2744 हैक्टर जमीन का उपहार पत्र प्रतिवादी नं. 1 बाबू अली के हक मे कर दिया। इसी प्रकार अस्त अली व शब्बीर खां ने दिनांक 3.1.2008 को पारीवारिक समझौता लिखा उसगे 10 बीघा खाम जमीन बाबू खां के हिस्से मे आई। वादीगण को मौजुदा वाद पत्र के लिये वाद कारण पैदा नही हुआ। वाद कारण के अभाव मे वाद पत्र खारिज होने योग्य है। उपहार पत्र बहक बाबू अली एवं हक त्याग पत्र दिनांक 1.03.2008 बहक मो. शब्बीर दोनो दंस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज है जो मो. युसुफ व वादी नं. 1 अब्दुल रसीद द्वारा सहमति से करवाये गये है। जब तक दोनो पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लिये तब तक वादीगण को मौजूदा वाद पत्र के लिए वाद कारण पैदा नही हुआ। वादी नं. 1 अब्दुल रसीद अपने स्वंय के दस्तोवज दिनांक 1.03.2008 से अस्टोप्ड है तथा वादी नं. 3 लगायत 7 मो. युसुफ के दस्तावेज से अस्टोप्ड है। उपहार पत्र प्रतिवादी नं. 1 मे मो. युसुफ का पुत्र वादी नं. 4 गवाह है इस प्रकार वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण वाद कारण के अभाव मे तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया जिसे शामिल मिशल किया गया। वकील वादी/अप्रार्थी ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि धारा 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो से कोई सम्बन्ध नही है। प्रकरण के सम्बन्धित सभी तथ्यों को दावा मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

विवादित जमीन में पक्षकारान के हक हिस्से के बारे में दावा में सम्पूर्ण रूप से विस्तृत उल्लेख किया गया है। तथ्यों के बाबत यदि पक्षकारान के मध्य कोई विवाद यदि है वह दावा में दर्ज के विचारण के दौरान ही तय हो सकेगा। धारा 2 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के निरतारण के समय केवल दावा में वादीगण की ओर से किये गये अभिकथनो को व वादीगण की ओर से अपने दावा के साथ दुरूस्त किये गये दस्तावेजात को देखा जाना होता है तथा यह कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र इ के निरतारण के समय तो प्रतिवादी के जवाब दावा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज अथवा प्रार्थना पत्र में किये गये प्रतिवादी के अभिकथनो के अवलोकन किया जाना पूर्णतया निषेध है। धारा 3 प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की इस धारा में वर्णित तथ्यों का जवाब उपर आ चुका है। धारा 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नही है पूरा जवाब उपर आ चुका है। धारा 5 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है यह कहना गलत है कि वादीगण को दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वाद पत्र के वाद कारण के बारे में भी कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि दावा में वाद कारण का उल्लेख किया गया है तो प्रतिवादी को इस बारे में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के स्तर पर आपत्ति नही उठाई जा सकती। धारा 6 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है पूरा जवाब उपर आ चुका है। धारा 7 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है वादी नं. 1 अथवा वादीगण नम्बर 3 लगायत 7 ने कभी कोई दस्तावेज दिनांक 01.03.2008 या अन्य कभी निष्पादित नही किया। उपर वर्णित अनुसार प्रतिवादी की ओर प्रार्थना पत्र अथवा जवाब दावा में वर्णितं किसी प्रकार के अभिलेख या प्रतिवादी की ओर से उल्लेखित किसी दस्तावेज का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का तो अवलोकन ही नही किया जा सकता। पूरा जवाब उपर आ चुका है। अतः वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने दौराने बहस कथन किया कि उपहार पत्र बहक बाबू अली एवं हक त्याग पत्र दिनांक 1.03.2008 बहक मो. शब्बीर दोनो दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज है जो मो. युसुफ व वादी नं. 1 अब्दुल रसीद द्वारा सहमति से करवाये गये है। जब तक दोनो पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लें तब तक वादीगण को मौजूदा वाद पत्र के लिए वाद कारण पैदा नही हुआ। वादी नं. 1 अब्दुल रसीद अपने स्वंय के दस्तोवज दिनांक 1.03.2008 से अस्टोप्ड है तथा वादी नं. 3 लगायत 7 मो. युसुफ के दस्तावेज से अस्टोप्ड है। उपहार पत्र प्रतिवादी नं. 1 मे मो. युसुफ का पुत्र वादी नं. 4 गवाह है इस प्रकार वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज होने योग्य है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात नजीर आरआरटी 2010 पेज 124 तथा प्रमाणित प्रति दावा उनवानी इदरिश बनाम बाबू अली मुकदमा संख्या 153/2023 तथा प्रमाणित प्रति दावा संख्या 158/2023 उनवानी रसीद बनाम शब्बीर माननीय सिविल न्यायाधीश झुन्झुनू के यहां विचाराधीन हैं कि प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई है।

वकील अप्रार्थी/वादी ने कथन किया कि मैंने अपने दावे में उपहार पत्र व हकत्याग पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी पर कब्जा भी हमारा है हमने घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है। वादी नं. 1 अथवा वादीगण नम्बर 3 लगायत 7 ने कभी कोई दस्तावेज दिनांक 01.03.2008 या अन्य कभी निष्पादित नही किया। उपर वर्णित अनुसार प्रतिवादी की ओर प्रार्थना पत्र अथवा जवाब दावा में वर्णित किसी प्रकार के अभिलेख या प्रतिवादी की ओर से उल्लेखित किसी दस्तावेज का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का तो अवलोकन ही नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खाजिर फरमाया जावे। साथ ही वकील वादी द्वारा नजीरें 2014 (1) DNJ(SC)-795, 2015(1)DNJ(SC)-242, 2017(4)DNJ(Raj)-1792, 2011(2)RRT-1203 पेश की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, जबाव प्रार्थना पत्र, वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया।

वादीगण द्वारा दावा में अंकित किया है कि दिनांक 12.12.2022 को वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 3 लगायत 7 के पिता व पति मोहम्मद युसूफ के नाम से कम जमीन दर्ज होने व प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 व 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम से उनके हिस्से से अधिक जमीन दर्ज होने के तथ्य की जानकारी होना वाद कारण अंकित किया है, जबकि वादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में अपना 1/5 हिस्सा मानते हुए अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये हकत्याग दिनांक 01.03.2008 द्वारा अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 02 के हक में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज स्थानान्तरण कर दी थी। इसी प्रकार वादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता ने भी अपने 1/5 हिस्से में से 0.2744 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा अपने भाई प्रति0 सं0 1 को दे दी,

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें वादी संख्या 4 के बतौर गवाह हस्ताक्षर हैं। उक्त तथ्यों से वादीगण द्वारा अंकित वाद कारण दिनांक 12.12.2022 सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस बाबत इनको दस्तावेजात निष्पादित दिनांक से ही जानकारी थी।

वकील वादीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया । वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा होती है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों एवं पत्रावली के अवलोकन किये जाने से यह तथ्य जाहिर है कि स्वंय वादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में अपना 1/5 हिस्सा मानते हुए अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये हकत्याग अपने सगे भाई प्रतिवादी संख्या 02 के हक में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज स्थानान्तरण कर दिया और अब स्वंय वादी संख्या 1 विवादित आराजी में अपना 1/7 हिस्सा मानते हुए घोषणा करवाने न्यायालय के समक्ष आया है। इस प्रकार वादी संख्या 1 स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है तथा जानबूझकर रजिस्टर्ड दस्तावेज को छुपाया है। जब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज को वादी संख्या 1 निरस्त नहीं करवा लेता है तब तक न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता ने भी अपने 1/5 हिस्से में से 0.2744 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र अपने भाई प्र0स0 1 को दे दी, जिसमें वादी संख्या 4 के बतौर गवाह हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार वादी संख्या 3 लगायत 5 भी अपने पिता के रजिस्टर्ड दस्तावेज से स्टोप्ड है। वादी संख्या 1 व वादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता दोनों ने उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों में अपना 1/5 हिस्सा माना है अब न्यायालय में अपनी बहनों को पक्षकार बनाते हुए 1/7 हिस्से की घोषणा चाही है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 जो उनकी बहन एवं वारिस हैं, उन्होने अभी तक उक्त हिस्से की घोषणा बाबत कोई जबाव/सहमति पत्रावली पर नहीं दी है।

इससे स्पष्ट है कि वादीगण को उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजतों की जानकारी होने के बावजूद उक्त तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश किया है। जब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा ले, तब तक न्यायालय हाजा से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।माननीय सिविल न्यायाधीश, झुन्झुनू के यहा विचाराधीन वाद दावा बाबत निरस्त किये जाने उपहार पत्र दिनांक 25.02.2015 व स्थाई निषेधाज्ञा तथा दावा बाबत निरस्त किये जाने हक त्याग पत्र दिनांक 01.03.2008 व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। उक्त उपहार पत्र एवं हकत्याग पत्र को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता है। उपहार पत्र एवं हकत्याग पत्र माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खारिज करवाये बिना खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से एवं वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner